फाईनल डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(ओ0रू 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड कार्यालय कामां

इजलास श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग

नाजर पुत्र इलयास बनाम गफूर पुत्र महताब वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिलाल कतई रूबरू वादी वकील व हाजिर दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 162/0.66 हैक्टेयर तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 186/0.64 हैक्टेयर बांके ग्राम रावतपुरा तहसील कामाँ (भरतपुर) हाल जिला डीग के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा से प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम इन्द्राज दर्ज किये जाने की इजाजत फरमाई जाती है।

वसप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.01.2025 को जारी की गई।

मुददई	रूपया	पैसे	मुददई	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प		
स्टाम्प बजह सबूत मेहनताना वकील	00	00	स्टाम्प बजह सबूत मेहनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बावत् इजराय हुकमनामा	00	00	बावत इजराय हुकमनामा	00	00
मुतफर्रिक	00	00	मुतफर्रिक	00	00

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां जिला डीग
राजस्थान

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

पीठासीन अधिकारी दिनेश शर्मा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 48/2022

01.नाजर पुत्र इलयास जाति मेव निवासी ग्राम लुहेसर तहसील कामाँ (भरतपुर)
वादी

बनाम

1. गफूर
2. इलियास पुत्रगण महताब
3. अकबरी पत्नी बसीर
4. ताहिर पुत्र बसीर
5. तैय्यब पुत्र बसीर
6. जायदा उर्फ जाहिदा पत्नी रफीक मौहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम लुहेसर तहसील कामाँ (भरतपुर)राज0
7. अनस
8. वासित पुत्रगण रफीक मौहम्मद } नाबालिग जरिये बली सरपस्त
9. जोया पुत्री रफी मौहम्मद } माता खुद जायदा उर्फ जाहिदा पत्नी रफीक मौहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम लुहेसर तहसील कामाँ
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील कामाँ (भरतपुर)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री देवेन्द्र सिंह दायमा, वादी अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक :– 24/01/2025

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0 एक्ट का इस आशय के साथ पेश किया। उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 नाबालिग जो अपनी माता जायदा उर्फ जाहिदा की देखरेख में परवरिश पा रहे है अन्य कोई भी शख्स नाबालिग व फातरूल अक्ल नहीं है। आराजी साविक खसरा नम्बर 162/0.66 हैक्टर हाल खसरा नम्बर 186/0.64 हैक्टर जो नये सैटल मेन्ट में रकबा 0.66 की जगह 0.64 हैक्टर हो गया है जो बांके ग्राम रावतपुरा तहसील कामाँ (भरतपुर) में स्थित है। आराजी मुतदाविया वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पति व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता बसीर से सालिम हिस्सा में से 1/2 हिस्सा यानि की 0.33 हैक्टर जमीन को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 26/06/2019 को उपपंजीयक महोदय, कामाँ के यहाँ बयनामा तस्दीक कराकर खरीद करली थी वक्त बयनामा आराजी मुत0 बैंक में रहन दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी इस कारण उस वक्त क्रेता

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

नाजर का दाखिल खारिज दर्ज नहीं हो सका। वादी ने उक्त आराजी मुत0 के बयनामा की फोटो कॉपी अपने हल्का पटवारी को बयनामा के आधार पर दाखिल खारिज दर्ज कराने के लिये दे दी साथ ही उस समय विक्रेतागण ने भी कहा कि रहन मुक्त हो जाने की सूचना आपको दे दी जायेगी। विक्रेतागण ने आज तक कोई सूचना रहन मुक्त की नहीं दी। उसी दौरान प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 के पिता/दादा विक्रेता बसीर की अचानक बीमार हो गया और विक्रेता बसीर फौत हो गया। विक्रेता बसीर के फौत हो जाने के बाद विक्रेता बसीर के वारिसानों ने तत्थात्मक एवं विधियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में अपने हिस्से का विरासत का दाखिल खारिज प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 के नाम दर्ज अंकन करा लिया जो कतई गलत व विधि विरूद्ध है तथा मौके पर भी प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है। विधि वजह वादी आराजी मुतनाजा बाबत राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने आपको मुताबिक बयनामा खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में नाम होने के कारण उक्त आराजी मुत0 को किसी अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करने की फिराक में है। अगर प्रतिवादीगण उक्त आराजी मुत0 को रहन वय मुन्तकिल कर दिया तो अन्य मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण विधि वजह वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। अब उक्त आराजी मुत0 राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के गलत अंकन होने से वादी को कब्जेकाश्त में मजाहमत मदाखलत करने पर उतारू है दिनांक 24/05/2022 को प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी भरे शब्दों में कहा कि हम जबरन तेरी कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करके रहेगे तूने खरीदी होगी परन्तु अभी तेरा नाम जमाबन्दी में ही नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा दी गई ऐलानिया धमकी से वादी को शख्त हक तलफी होगी और नुकसान भी अजीम होगा जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद से होना सम्भव नहीं है ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन ना होने के कारण प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत करने के कारण वादी मजबूरन अदालत श्रीमानजी की शरण में आया है अदालत श्रीमान बयनामा के आधार पर श्रीमान तहसीलदार साहब कामाँ को आदेश जारी कर वादी के नाम नामान्तकरण (दाखिल खारिज) खोले जाने के आदेश प्रदान करने में सक्षम है ताकि वादी को सुगमता से न्याय मिल सके। विनाय मुखास्मत दिनांक 24/05/2022 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जेकाश्त की आराजी में जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर पैदा हुई दावा अन्दर म्याद है एवं

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज0

अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में आता है जिसे सुनने का अधिकार हासिल हैं। यह घोषित किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की साविक खसरा नम्बर 162/0.66 हैक्टर हाल खसरा नम्बर 186/0.64 हैक्टर बांके ग्राम रावतपुरा तहसील कामाँ पर मुताबिक बयनामा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे वादीगण के कब्जे काश्त शुदा आराजी में कोई नींव खोदकर निर्माण कार्य न करे साथ ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत न करें व ऐसा कोई कार्य न करे जिससे हकूक वादी जायल हो। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी मुत0 को दीगर जगह रहन व मुन्तकिल न करे जबरन वादी के हिस्से पर कब्जा नाजायज न करें।

वादी के दावा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगणों की तलवी किये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व दिनांक 02.11.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 09 भी बाबजूल तलवी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 27.03.2023 को प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 06 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 09 के बलिसरपरस्त माता खुद प्रतिवादी संख्या 06 के विरूद्व भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने से उक्त प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 09 के विरूद्व भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा अपने दावा के समर्थन में वयनामा की छायाप्रति दिनांक 26.06.2019 की प्रति तथा मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 नाजर, का शपथ पत्र पेश किया।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में दावा में लिखित तथ्यों को दोहराया कि आराजी मुतदाविया वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पति व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता बसीर से सालिम हिस्सा में से 1/2 हिस्सा यानि की 0.33 हैक्टर जमीन को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 26/06/2019 को उपपंजीयक महोदय, कामाँ के यहाँ बयनामा तस्दीक कराकर खरीद करली थी वक्त बयनामा आराजी मुत0 बैंक में रहन दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी इस कारण उस वक्त क्रेता नाजर का दाखिल खारिज दर्ज नहीं

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

हो सका। विक्रेता बसीर के फौत हो जाने के बाद विक्रेता बसीर के वारिसानों ने तथ्यों को छुपाते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अपने हिस्से की विरासत का दाखिल खारिज प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 के नाम दर्ज अंकन करा लिया जो कतई गलत व विधि विरूद्ध है। तथा मौके पर भी प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है। विधि वजह वादी आराजी मुतनाजा बाबत राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने आपको मुताबिक बयनामा खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। अतः प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की आराजी साविक खसरा नम्बर 162/0.66 हैक्टर हाल खसरा नम्बर 186/0.64 हैक्टर बांके ग्राम रावतपुरा तहसील कामाँ पर मुताबिक बयनामा दिनांक 26.06.2019 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन किया जाकर वादी को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया कि आराजी के पूर्व खातेदार वशीर, गफूर, इलियास पिसरान महताब से विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा को दिनांक 26/06/2019 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा वादी ने खरीद किया था और उसी समय मौके पर आराजी का कब्जा प्राप्त कर लिया। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादी के हिस्से की आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज होता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी डिक्री किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में साविक आराजी खसरा नम्बर 162/0.66 हैक्टेयर तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 186/0.64 हैक्टेयर बांके ग्राम रावतपुरा तहसील कामाँ (भरतपुर) पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 के नाम हो रहे 1/2 हिस्से के गलत इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादी नाजर पुत्र इलयास जाति मेव निवासी ग्राम लुहेसर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री फरमाया जावे।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग)

निर्णय आज दिनांक 24/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग)